भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1668

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

1668. श्री किशोरी लाल:
प्रो. सौगत राय:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और बिजली के वास्तविक उत्पादन का स्रोत-वार (सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन-आधारित विद्युत), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस कमी के क्या कारण हैं;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, सब्सिडी और प्रोत्साहनों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा ऑफशोर विंड, रूफटॉप सोलर, पंप्ड स्टोरेज, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ग्रीन हाइड्रोजन- आधारित बिजली उत्पादन के संवर्धन सहित अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 297.36 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत आधारित बिजली क्षमता स्थापित की गई है जिसमें 288.58 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 8.78 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2026 तक) के दौरान देश में कुल 146.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता जोड़ी गई है। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि (GW)**

2021-22	14.5
2022-23	15.4
2023-24	18.6
2024-25	29.5
2025-26	54.6
2026-27 (जून 2026 तक)	13.9
कुल	**146.5**

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2026 तक) के दौरान जोड़ी गई कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोत-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2026 तक) के दौरान देश में नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

सरकार भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रही है। मिशन का उद्देश्य **वर्ष** 2030 तक 125 गीगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रति वर्ष की ग्रीनहाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। वर्तमान में वाणिज्यिक स्तर पर हाइड्रोजन आधारित विद्युत उत्पादन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की प्रमुख चालू योजनाओं के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ) सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों पर आधारित विद्युत क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं पहलें की हैं, जिसमें अपतटीय पवन, रूफटॉप सोलर, पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है, जैसा कि **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 1668 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2026 तक) के दौरान जोड़ी गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्रोत-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	कुल
1	आंध्र प्रदेश	3778.42	364.93	78.98	2.40	1680.00	5904.73
2	अरुणाचल प्रदेश	5.56	0.00	0.00	9.51	1000.00	1015.07
3	असम	636.34	0.00	6.00	0.00	0.00	642.34
4	बिहार	272.03	0.00	19.52	0.00	0.00	291.55
5	छत्तीसगढ़	1581.46	0.00	44.61	32.90	0.00	1658.97
6	गोवा	81.95	0.00	1.60	0.00	0.00	83.55
7	गुजरात	28750.17	7524.84	29.98	30.61	0.00	36335.60
8	हरियाणा	2329.92	0.00	114.13	0.00	0.00	2444.05
9	हिमाचल प्रदेश	330.01	0.00	0.00	77.35	1651.00	2058.36
10	जम्मू और कश्मीर	125.78	0.00	5.00	43.59	0.00	174.37
11	झारखंड	234.37	0.00	15.84	0.00	0.00	250.21
12	कर्नाटक	4151.16	3957.74	15.13	4.00	45.00	8173.03
13	केरल	2126.80	9.02	0.00	46.50	151.65	2333.97
14	लद्दाख	18.42	0.00	0.00	6.15	0.00	24.57
15	मध्य प्रदेश	3787.71	1166.56	31.80	24.00	0.00	5010.07
16	महाराष्ट्र	17988.58	1318.38	367.82	4.70	0.00	19679.48
17	मणिपुर	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
18	मेघालय	0.43	0.00	0.00	22.50	0.00	22.93
19	मिजोरम	27.42	0.00	0.00	9.00	0.00	36.42
20	नागालैंड	0.77	0.00	0.00	4.40	0.00	5.17
21	ओडिशा	695.44	0.00	5.00	52.00	12.30	764.74
22	पंजाब	620.89	0.00	90.94	2.55	0.00	714.38
23	राजस्थान	37392.21	1189.22	97.34	0.00	1.50	38680.27
24	सिक्किम	5.62	0.00	0.00	3.00	113.00	121.62
25	तमिलनाडु	9593.99	2665.65	15.21	0.00	25.00	12299.85
26	तेलंगाना	1203.56	0.00	31.63	0.00	0.00	1235.19
27	त्रिपुरा	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
28	उत्तर प्रदेश	3952.55	0.00	153.79	1.50	0.00	4107.84
29	उत्तराखंड	511.01	0.00	22.05	19.50	1180.00	1732.56
30	पश्चिम बंगाल	200.85	0.00	30.77	0.00	0.00	231.62

31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
32	चंडीगढ़	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	97.39	0.00	3.75	0.00	0.00	101.14
34	दिल्ली	261.47	0.00	33.17	0.00	0.00	294.64
35	लक्षद्वीप	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
36	पुडुचेरी	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.20
	कुल (मेगावाट)	**120915.95**	**18196.34**	**1214.06**	**396.16**	**5859.45**	**146581.96**

अनुलग्नक-II

दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 1668 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2026 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन का स्रोत-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

वित्त वर्ष 2021-22

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु हाइड्रो	अन्य	बड़ा हाइड्रो	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	21.51	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00	34.77
आंध्र प्रदेश	7134.58	7832.51	104.85	72.70	384.08	133.88	3113.83	18776.44
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.72	0.00	0.00	0.41	0.00	4161.28	4163.41
असम	0.00	81.64	0.00	0.00	40.46	0.00	676.24	798.34
बिहार	0.00	163.08	2.14	65.84	8.77	0.00	0.00	239.83
चंडीगढ़	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
छत्तीसगढ़	0.00	436.56	1307.27	8.70	185.67	0.00	404.13	2342.34
दादरा और नगर हवेली	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16
दमन और दीव	0.00	35.35	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
दिल्ली	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00	232.89	0.00	458.73
गोवा	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	16.82
गुजरात	17854.77	6774.50	0.00	18.16	192.10	0.00	2621.51	27461.04
हरियाणा	0.00	572.85	171.60	96.75	270.13	24.09	0.00	1135.42
हिमाचल प्रदेश	0.00	44.29	0.00	0.00	1999.47	0.00	36459.64	38503.40
जम्मू और कश्मीर	0.00	1.71	0.00	0.00	414.10	0.00	17074.02	17489.83
झारखंड	0.00	18.21	0.00	0.00	10.49	0.00	547.96	576.67
कर्नाटक	9491.62	13169.43	174.08	3338.24	2460.91	0.00	13936.46	42570.74
केरल	136.41	496.93	0.00	48.92	932.37	0.00	9317.44	10932.06
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.98	405.98
लक्षद्वीप	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
मध्य प्रदेश	4346.66	4006.70	25.35	82.20	221.43	34.40	4686.72	13403.45
महाराष्ट्र	7085.98	3187.18	316.79	4468.31	787.16	0.22	6007.38	21853.02
मणिपुर	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	455.48	462.20
मेघालय	0.00	0.47	0.00	0.00	44.21	0.00	841.82	886.50

मिजोरम	0.00	1.68	0.00	0.00	26.41	0.00	137.44	165.53
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	0.00	100.55	164.02
उड़ीसा	0.00	603.71	100.08	0.00	377.32	0.00	5230.63	6311.73
पुडुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
पंजाब	0.00	1473.41	576.83	208.30	983.37	0.24	3709.73	6951.88
राजस्थान	6493.19	17219.88	378.40	0.00	7.85	0.00	481.84	24581.15
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	11493.90	11506.25
तमिलनाडु	15821.18	7172.88	116.66	657.40	293.17	0.00	5212.07	29273.35
तेलंगाना	275.69	6536.94	111.13	103.95	91.00	227.20	5626.63	12972.52
त्रिपुरा	0.00	6.18	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	7.62
उत्तर प्रदेश	0.00	2900.41	85.20	3160.39	162.54	20.40	1402.68	7731.62
उत्तराखंड	0.00	301.60	0.00	244.02	326.70	0.00	14332.13	15204.45
पश्चिम बंगाल	0.00	98.24	0.00	0.00	152.90	1593.96	3189.84	5034.93
कुल	**68640.07**	**73483.94**	**3482.70**	**12573.88**	**10463.55**	**2268.17**	**151627.33**	**322539.63**

वित्त वर्ष 2022-23

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पवन**	**सौर**	**बायोमास**	**खोई**	**लघु हाइड्रो**	**अन्य**	**बड़ा हाइड्रो**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	23.94	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00	37.88
आंध्र प्रदेश	7426.46	8140.72	54.86	99.93	410.90	279.04	3747.58	20159.49
अरुणाचल प्रदेश	0.00	22.27	0.00	0.00	2.55	0.03	4820.94	4845.79
असम	0.00	216.35	0.00	0.00	62.66	0.00	481.60	760.61
बिहार	0.00	169.53	0.00	106.68	12.63	0.00	0.00	288.85
चंडीगढ़	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
छत्तीसगढ़	0.00	635.42	1194.60	17.10	155.92	0.00	237.37	2240.42
डीएनएच और डीडी	0.00	27.40	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62
दिल्ली	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00	294.09	0.00	530.20
गोवा	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	5.09	0.00	19.96
गुजरात	19206.22	10335.32	0.00	5.76	213.10	2.24	6133.14	35895.77
हरियाणा	0.00	555.20	356.07	203.01	241.90	63.55	0.00	1419.73
हिमाचल प्रदेश	0.00	58.76	0.00	0.00	2854.07	0.00	38666.98	41579.81
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	393.20	0.00	16777.42	17170.62
झारखंड	0.00	19.70	0.00	0.00	2.40	0.00	305.47	327.57
कर्नाटक	9967.89	14153.79	106.90	3037.31	2308.59	0.00	13157.34	42731.82

केरल	179.32	879.75	0.00	62.85	824.34	0.00	7989.00	9935.26
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	402.78
लक्षद्वीप	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
मध्य प्रदेश	4486.72	3839.30	38.76	113.05	357.97	36.93	7309.07	16181.79
महाराष्ट्र	7243.06	4387.85	236.48	4572.03	766.73	0.44	5894.29	23100.88
मणिपुर	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.63	477.98	486.77
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16	0.00	980.25	1052.41
मिजोरम	0.00	3.21	0.00	0.00	59.06	0.00	204.13	266.40
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	0.00	177.37	289.32
ओडिशा	0.00	706.24	60.95	0.00	424.92	0.00	5462.81	6654.91
पुडुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
पंजाब	0.00	2778.66	497.68	210.76	682.48	0.00	4399.65	8569.23
राजस्थान	6111.41	34474.43	397.05	0.00	7.17	0.00	967.43	41957.48
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	11696.79	11709.14
तमिलनाडु	16913.85	9419.39	126.93	869.56	296.71	0.00	5965.77	33592.22
तेलंगाना	279.23	6745.46	21.48	132.94	91.71	159.08	6010.07	13439.96
त्रिपुरा	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
उत्तर प्रदेश	0.00	3674.02	66.35	3183.67	234.69	58.45	974.04	8191.22
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	352.07	0.00	15435.77	16368.16
पश्चिम बंगाल	0.00	125.04	0.00	0.00	204.44	1629.64	3423.73	5382.85
कुल	**71814.16**	**102014.24**	**3161.32**	**12863.16**	**11170.61**	**2529.18**	**162098.77**	**365651.45**

वित्त वर्ष 2023-24

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पवन**	**सौर**	**बायोमास**	**खोई**	**लघु हाइड्रो**	**अन्य**	**बड़ा हाइड्रो**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	27.50	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	39.50
आंध्र प्रदेश	8644.00	8300.03	18.75	66.63	127.10	307.97	1373.19	18837.67
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.89	0.00	0.00	0.66	0.00	4278.18	4280.73
असम	0.00	316.31	0.00	0.00	64.20	0.75	614.70	995.96

बिहार	0.00	195.19	0.00	140.98	5.92	0.00	0.00	342.08
चंडीगढ़	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
छत्तीसगढ़	0.00	943.75	1368.61	19.54	145.54	0.00	321.76	2799.20
डीएनएच और डीडी	0.00	15.74	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
दिल्ली	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	522.28	0.00	728.81
गोवा	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	67.95
गुजरात	24794.50	13468.91	0.00	2.13	217.68	0.00	4556.33	43039.55
हरियाणा	0.00	992.91	294.12	83.60	222.05	58.82	0.00	1651.50
हिमाचल प्रदेश	0.00	59.54	0.00	0.00	2526.98	0.00	36365.85	38952.37
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	408.69	0.00	15874.24	16282.93
झारखंड	0.00	17.64	0.00	0.00	5.52	0.00	196.80	219.96
कर्नाटक	10950.20	15404.09	47.45	2754.06	1370.76	0.00	8973.17	39499.72
केरल	214.53	1195.28	0.00	78.08	716.31	0.04	5155.72	7359.96
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.48	388.48
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
मध्य प्रदेश	4949.78	4025.19	84.62	97.01	469.60	28.83	6444.78	16099.80
महाराष्ट्र	8228.97	5814.13	304.61	3495.82	888.48	33.40	5264.49	24029.90
मणिपुर	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	1.23	298.18	307.14
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55	0.00	808.58	875.13
मिजोरम	0.00	3.19	0.00	0.00	95.93	0.00	118.63	217.74
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14	0.00	165.47	246.61
ओडिशा	0.00	757.69	96.07	0.00	407.97	0.00	6162.20	7423.92
पुडुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
पंजाब	0.00	2673.99	613.44	197.99	636.97	0.00	4676.42	8798.82
राजस्थान	8390.67	38363.28	387.55	0.00	7.45	0.00	1013.97	48162.93
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	8609.86	8622.21
तमिलनाडु	16908.08	11737.48	129.14	622.61	206.00	0.00	3563.28	33166.59
तेलंगाना	304.63	6884.68	10.57	95.08	58.87	155.29	1243.29	8752.39
त्रिपुरा	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
उत्तर प्रदेश	0.00	3971.31	46.65	2923.55	175.24	84.85	850.64	8052.23
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	350.62	0.00	13919.23	14850.17

पश्चिम बंगाल	0.00	168.32	2.49	0.00	204.46	1545.13	2816.49	4736.88
कुल	**83385.35**	**115975.11**	**3417.19**	**10825.59**	**9485.04**	**2746.55**	**134053.93**	**359888.76**

वित्त वर्ष 2024-25

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पवन**	**सौर**	**बायोमास**	**खोई**	**लघु हाइड्रो**	**अन्य**	**बड़ा हाइड्रो**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	24.59	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	39.00
आंध्र प्रदेश	7235.04	7993.48	19.61	52.34	294.36	307.40	3303.07	19205.30
अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.30	0.00	0.00	0.58	0.00	4205.16	4207.04
असम	0.00	305.52	0.00	0.00	208.55	0.30	998.75	1513.11
बिहार	0.00	325.86	0.00	104.70	14.54	0.00	0.00	445.10
चंडीगढ़	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
छतीसगढ़	0.00	1523.27	1543.26	20.05	139.34	0.00	419.42	3645.35
डीएनएच और डीडी	0.00	15.87	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63
दिल्ली	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	542.41	0.00	748.95
गोवा	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	65.24
गुजरात	25440.90	20219.48	107.62	0.00	205.98	0.00	6028.52	52002.50
हरियाणा	0.00	1470.02	359.23	44.60	314.64	49.13	0.00	2237.62
हिमाचल प्रदेश	0.00	107.24	0.00	0.00	3040.90	0.00	39386.29	42534.43
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	395.17	0.00	15200.65	15595.82
झारखंड	0.00	17.64	0.00	0.00	6.25	0.00	269.12	293.01
कर्नाटक	13620.33	15699.63	32.15	2474.25	2259.49	0.00	14056.00	48141.85
केरल	119.85	1711.83	0.00	20.53	814.29	56.64	6733.99	9457.13

लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.06	413.06
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
मध्य प्रदेश	4712.84	7123.73	61.95	121.55	482.19	65.06	7606.73	20174.05
महाराष्ट्र	7659.71	7725.20	259.41	3001.04	855.48	90.35	5635.24	25226.43
मणिपुर	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	706.37	715.05
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	116.65	0.00	905.58	1022.23
मिजोरम	0.00	25.38	0.00	0.00	52.11	0.00	240.30	317.79
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	98.62	0.00	215.02	313.64
ओडिशा	0.00	786.75	53.80	0.00	457.20	0.00	6285.36	7583.11
पुडुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
पंजाब	0.00	1372.73	692.06	348.11	734.01	0.00	4126.11	7273.02
राजस्थान	6941.26	49101.62	400.85	0.00	4.15	0.00	905.80	57353.68
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	2012.67	2025.02
तमिलनाडु	17326.66	15739.30	106.90	377.99	256.60	0.00	4602.73	38410.18
तेलंगाना	290.60	6941.75	12.61	64.28	74.48	257.96	5270.78	12912.48
त्रिपुरा	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
उत्तर प्रदेश	0.00	4966.06	76.48	2457.35	179.00	29.88	1273.74	8982.50
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	353.40	0.00	15183.82	16117.54
पश्चिम बंगाल	0.00	320.75	0.00	0.00	183.30	1462.46	2649.70	4616.21
कुल	**83347.19**	**144150.23**	**3738.67**	**9335.32**	**11568.04**	**2869.73**	**148633.98**	**403643.17**

वित्त वर्ष 2025-26

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पवन**	**सौर**	**बायोमास**	**खोई**	**लघु हाइड्रो**	**अन्य**	**बड़ा हाइड्रो**	**कुल आरई**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	16.92	0.00	0.00	13.72	0.00	0.00	30.65
आंध्र प्रदेश	8902.94	8773.06	14.73	46.30	438.46	425.10	6190.06	24790.64

अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.37	0.00	0.00	0.34	0.00	4854.46	4857.16
असम	0.00	330.12	0.00	0.00	139.39	0.59	1424.54	1894.63
बिहार	0.00	327.71	0.00	81.50	23.44	0.00	0.00	432.65
चंडीगढ़	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
छत्तीसगढ़	0.00	1913.17	1462.22	7.69	244.97	0.00	351.61	3979.66
डीएनएच और डीडी	0.00	20.18	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.82
दिल्ली	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	493.58	0.00	700.11
गोवा	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	65.24
गुजरात	33706.20	27379.65	175.56	0.00	196.59	0.00	6372.91	67830.91
हरियाणा	0.00	1612.32	413.12	62.92	239.74	52.35	0.00	2380.45
हिमाचल प्रदेश	0.00	201.53	0.00	0.00	2693.75	0.00	42827.62	45722.90
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	413.60	0.00	15663.32	16076.92
झारखंड	0.00	17.64	0.00	0.00	19.29	0.00	145.61	182.54
कर्नाटक	18804.62	17923.81	45.85	3357.17	2800.48	11.08	15601.21	58544.22
केरल	130.33	2420.50	0.00	0.00	952.97	97.37	9187.59	12788.75
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.24	465.24
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
मध्य प्रदेश	4706.66	8076.98	71.23	64.85	514.87	59.49	8088.74	21582.82
महाराष्ट्र	8610.62	10552.84	255.98	3207.22	934.52	60.88	5483.02	29105.08
मणिपुर	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	576.01	584.61
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90	0.00	879.22	1039.12
मिजोरम	0.00	29.31	0.00	0.00	25.51	0.00	263.98	318.80
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90	0.00	228.33	326.23
ओडिशा	0.00	909.33	86.53	0.00	620.05	0.00	7253.62	8869.52
पुडुचेरी	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
पंजाब	0.00	1361.90	690.11	239.58	447.23	0.00	4291.63	7030.45
राजस्थान	7345.17	59921.18	777.10	0.00	6.52	0.00	1070.61	69120.57
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00	2602.18	2614.53
तमिलनाडु	24200.81	19690.99	8.97	185.04	307.56	0.00	5589.67	49983.04
तेलंगाना	292.46	6920.53	23.13	74.96	85.62	325.67	6874.54	14596.91
त्रिपुरा	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97

उत्तर प्रदेश	0.00	5302.73	106.55	2362.59	87.55	36.63	1775.64	9671.69
उत्तराखंड	0.00	331.80	0.00	248.52	353.40	0.00	16533.16	17466.88
पश्चिम बंगाल	0.00	418.49	0.00	0.00	184.40	1461.93	2609.26	4674.08
कुल	**106699.80**	**174756.51**	**4143.71**	**9938.34**	**12014.12**	**3032.80**	**167203.78**	**477789.07**

वित्त वर्ष 2026-27 (मई, 2026 तक)

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**पवन**	**सौर**	**बायोमास**	**खोई**	**लघु हाइड्रो**	**अन्य**	**बड़ा हाइड्रो**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	3.10	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	4.30
आंध्र प्रदेश	1063.13	2213.23	3.31	1.35	17.32	66.17	901.55	4266.05
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01	0.00	1560.04	1560.19
असम	0.00	65.30	0.00	0.00	22.85	0.14	138.98	227.27
बिहार	0.00	65.99	0.00	11.36	0.03	0.00	0.00	77.38
चंडीगढ़	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
छत्तीसगढ़	0.00	469.37	239.40	0.00	10.08	0.00	34.08	752.92
डीएनएच और डीडी	0.00	3.38	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
दिल्ली	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00	94.18	0.00	128.60
गोवा	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	10.87
गुजरात	7238.49	9769.00	18.97	0.00	30.04	0.00	676.42	17732.92
हरियाणा	0.00	328.62	89.64	0.24	53.18	5.66	0.00	477.34
हिमाचल प्रदेश	0.00	49.10	0.00	0.00	352.14	0.00	5349.59	5750.83
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	82.12	0.00	3465.26	3547.38
झारखंड	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71.90	74.84
कर्नाटक	2916.50	4177.41	5.35	302.72	109.39	9.86	2202.13	9723.36
केरल	18.76	624.68	0.00	0.00	86.66	17.16	1180.73	1927.99
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98	47.98
लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
मध्य प्रदेश	1221.38	1766.93	10.15	16.99	62.08	6.47	936.52	4020.53
महाराष्ट्र	1614.10	2434.98	40.88	110.27	146.85	16.01	1530.32	5893.41
मणिपुर	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.79	54.22
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85	0.00	119.87	149.72
मिजोरम	0.00	6.67	0.00	0.00	2.87	0.00	8.72	18.26

नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	15.83	21.65
ओडिशा	0.00	191.94	17.03	0.00	59.56	0.00	1157.04	1425.57
पुडुचेरी	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
पंजाब	0.00	278.55	114.19	22.68	34.17	0.00	523.24	972.84
राजस्थान	1728.44	12968.79	173.37	0.00	0.00	0.00	9.73	14880.32
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	432.50	434.56
तमिलनाडु	2461.20	4203.53	0.00	32.10	4.71	0.00	387.66	7089.20
तेलंगाना	44.83	1465.22	6.79	8.37	3.87	99.88	154.60	1783.57
त्रिपुरा	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
उत्तर प्रदेश	0.00	1197.45	18.51	112.60	14.47	3.37	171.48	1517.87
उत्तराखंड	0.00	55.30	0.00	41.42	58.90	0.00	1949.67	2105.29
पश्चिम बंगाल	0.00	92.31	0.00	0.00	19.18	223.21	437.96	772.65
कुल	**18306.83**	**42483.60**	**739.68**	**660.10**	**1209.41**	**543.46**	**23516.59**	**87459.67**

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

अनुलग्नक-III

दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 1668 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

वर्ष 2025-26 के दौरान एमएनआरई की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सीपीएसयू	सौर पार्क	रूफटॉप सोलर	पीएम कुसुम	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	पीएमडीपी लद्दाख
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			1.42							
आंध्र प्रदेश		21.60	755.92		6.22	3.30			5.74	
अरुणाचल प्रदेश			0.01	1.13	20.00					
असम			711.05	4.21						
बिहार	1.05		119.32							
चंडीगढ़			5.48							
छत्तीसगढ़		3.00	252.13		5.21		0.22			
दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव			3.36				0.04			
दिल्ली	0.61		61.24				0.04			
गोवा			11.00	0.43						
गुजरात		175.03	3080.37	554.33		0.36	7.78	12.04		
हरियाणा			360.09	332.06		2.40	0.49	23.76		
हिमाचल प्रदेश			51.88	5.70					6.94	
जम्मू और कश्मीर			197.30	5.52						
झारखंड		7.30	29.39	52.13	3.20					

कर्नाटक			99.59	164.28	0.27		1.08		17.47	
केरल		3.86	1220.03	4.85	0.34				49.28	
लद्दाख			9.66	1.53						33.37
लक्षद्वीप			5.64							
मध्य प्रदेश	20.63	50.40	597.84	144.82	4.79	11.91	2.41	1.70		
महाराष्ट्र			3229.72	2979.31		1.17	22.36	22.66		
मणिपुर			5.93	0.78	0.50					
मेघालय			0.16							
मिजोरम			6.48	1.73						
नागालैंड			1.31	0.66						
ओडिशा		3.00	288.24	7.64			1.03			
पुडुचेरी			22.17							
पंजाब			51.89	37.49		10.23	2.17	34.87		
राजस्थान	221.59	98.5	1043.53	404.01		1.08		0.02	94.24	
सिक्किम			0.18							
तमिलनाडु			283.37	10.46		1.30	2.26	4.08		
तेलंगाना	7.48		203.67		0.19	1.52	1.26			
त्रिपुरा			19.14	7.48	2.55		1.20			
उत्तर प्रदेश		2.85	2451.51	131.99		7.40	0.25	32.41	605.13	
उत्तराखंड			429.49	17.56		1.00	0.40	0.45		
पश्चिम बंगाल		*	4.11				0.04	0.51		
झारखंड और पश्चिम बंगाल		*55.00								
कुल	**251.36**	**420.51**	**15613.62**	**4870.08**	**43.27**	**41.67**	**43.03**	**132.50**	**778.80**	**33.37**
* झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित परियोजना के लिए जारी किया गया										

वर्ष **2024-25 के दौरान एमएनआरई की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों का विवरण**

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**सौर पार्क**	**सीपीएसयू**	**रूफटॉप सोलर**	**पीएम कुसुम**	**पीएम जनमन**	**बायोमास**	**बायोगैस**	**अपशिष्ट से ऊर्जा**	**जीईसी**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0.09						
आंध्र प्रदेश	83.90		111.42		0.37	1.84		0.72	0.25
अरुणाचल प्रदेश				1.91			0.31		
असम			64.33						
बिहार		0.70	53.76						
चंडीगढ़			6.28						
छत्तीसगढ़	2.80		8.80				0.72		
डीएनएच और डीडी			0.67						
दिल्ली		0.41	10.75						
गोवा			14.47					0.03	
गुजरात		342.20	3251.13	59.95				3.06	17.77
हरियाणा			207.42	303.40		2.04	0.11	7.43	
हिमाचल प्रदेश			18.41	1.73					
जम्मू और कश्मीर			59.85	12.90					
झारखंड			19.37	48.73	6.43				
कर्नाटक			81.01	0.89	0.63	4.00	0.95	8.30	24.65
केरल	7.40		801.27	1.72			0.04		
लद्दाख			2.67						
लक्षद्वीप			1.97						
मध्य प्रदेश	73.9		266.92				3.83	10.20	

महाराष्ट्र			1248.62	1619.00			27.77	10.20	
मणिपुर			2.56	0.17					
मेघालय			0.08						
मिजोरम	2.24		1.46	0.84					
नागालैंड			0.16						
ओडिशा			25.30				0.26		
पुडुचेरी			5.11						
पंजाब			81.18	13.09		7.60	2.21		
राजस्थान	48.5	211.30	321.04	295.20				1.69	
सिक्किम			0.02						
तमिलनाडु		1.76	172.64	6.48			4.95	15.18	10.47
तेलंगाना		1.30	89.52		0.44		0.85	5.37	
त्रिपुरा			1.14	9.31	5.96		0.91		
उत्तर प्रदेश	155.1		684.83	173.01		0.51	0.58	23.79	292.93
उत्तराखंड			163.26	15.60			1.29	0.20	
पश्चिम बंगाल			0.10				0.01		
कुल	**373.84**	**557.67**	**7777.61**	**2563.93**	**13.83**	**15.99**	**44.79**	**86.17**	**346.07**

वर्ष 2023-24 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियो का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**सौर पार्क**	**सीपीएसयू**	**रूफटॉप सोलर**	**पीएम कुसुम**	**बायोमास**	**बायोगैस**	**अपशिष्ट से ऊर्जा**	**जीईसी**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0.01					
आंध्र प्रदेश		22.45	4.5				2.74	47.54
अरुणाचल प्रदेश				2.12		0.39		
असम			2.11			1.26		
बिहार			9.8					
चंडीगढ़			3.34					
छत्तीसगढ़	14.3		1.43			0.95		

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव						0.11		
दिल्ली			6.12			0.23		
गोवा			0.3				3.00	
गुजरात	505.13	145.91	644.91	28.72		8.14		23.85
हरियाणा			24.64	429.78				
हिमाचल प्रदेश			2.4					40.50
जम्मू और कश्मीर								
झारखंड				2.36				
कर्नाटक		112.35	11.68	2.38		6.77	6.61	147.12
केरल			199.89	28.53				
लद्दाख								
लक्षद्वीप								
मध्य प्रदेश	59.26		31.39	0.80		6.97	0.84	22.26
महाराष्ट्र			314.75	326.22	0.07	13.02	0.56	
मणिपुर			0.9	0.17		0.22		
मेघालय				0.31		0.22		
मिजोरम								
नागालैंड				0.18		0.18		
ओडिशा			3.08	3.44		0.32		
पुडुचेरी			0.39					
पंजाब			23.83	5.41		2.34		
राजस्थान	97.51	692.07	104.08	49.41	1.97	0.35		53.73
सिक्किम								
तमिलनाडु		80.97	13.94	2.59		0.47	2.36	
तेलंगाना		27.39	23.24			0.29		
त्रिपुरा			0.04	17.81		0.70		
उत्तर प्रदेश	39.30		61.06	92.13		1.84	4.71	
उत्तराखंड			10.77			0.77		
पश्चिम बंगाल					2.14			
कुल	**715.50**	**1081.14**	**1498.60**	**992.36**	**4.18**	**45.54**	**20.82**	**334.99**

वर्ष 2022-23 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियो का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सोलर	पीएम कुसुम	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
आंध्र प्रदेश			5.6				50.47	
अरुणाचल प्रदेश				0.82				
असम			4.9			0.11		
बिहार		1.75						
चंडीगढ़			2					
छत्तीसगढ़			3.3			3.70		
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		1.50						
दिल्ली			10.85					
गोवा								
गुजरात	522.17		1040.21	7.83			1.38	27.97
हरियाणा			14.72	137.95			3.53	
हिमाचल प्रदेश			11.7	5.85				4.02
जम्मू और कश्मीर			1.2	15.69				
झारखंड			3	20.04				
कर्नाटक			9.93			0.12		17.50
केरल	2.52		104.45					
लद्दाख								
लक्षद्वीप								
मध्य प्रदेश	109.36	32.25	35.47			0.29		96.77
महाराष्ट्र	12		58.95	247.60	1.75	3.04		5.08
मणिपुर				0.23				
मेघालय								
मिजोरम	1.28		0.8					
नागालैंड				0.20				
ओडिशा			0.6		0.40	0.47		
पुडुचेरी			0.01					
पंजाब			46.2	31.11	1.73	2.11		
राजस्थान			96.31	247.63		0.10		10.85
सिक्किम								
तमिलनाडु			20.54		1.03	0.34		87.81

तेलंगाना			43.9				0.33	
त्रिपुरा				0.12				
उत्तर प्रदेश	28.78		5.92	82.30			1.82	
उत्तराखंड			1.84	4.00				
पश्चिम बंगाल			10.2				0.07	
कुल	**676.11**	**35.50**	**1532.60**	**801.37**	**4.91**	**10.28**	**57.60**	**250.00**

वर्ष 2021-22 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की चल रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**सौर पार्क**	**सीपीएसयू**	**रूफटॉप सोलर**	**पीएम-कुसुम**	**अपशिष्ट से ऊर्जा**	**जीईसी**	**बायोमास**	**बायोगैस**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह								
आंध्र प्रदेश			2.1		50.55		0.99	0.88
अरुणाचल प्रदेश								
असम			0.4					0.31
बिहार							1.75	0.15
चंडीगढ़								
छत्तीसगढ़			1.2					1.97
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव								
दिल्ली			26.2					
गोवा			3.6					
गुजरात	28.00		1214.7		13.96			1.29
हरियाणा			7.7	161.12	5.05		1.05	
हिमाचल प्रदेश			13.8					
जम्मू और कश्मीर			20.2					
झारखंड			6.6					
कर्नाटक	40.00				0.93		2.70	0.34
केरल			36.3				0.79	0.45
लद्दाख								
लक्षद्वीप								
मध्य प्रदेश	50.84					73.16	1.27	1.66

महाराष्ट्र			63.1	9.60	2.47		0.75	0.18
मणिपुर			4.7					
मेघालय								
मिजोरम	0.48							
नागालैंड								
ओडिशा							0.13	
पुडुचेरी								
पंजाब			16.6	23.70				
राजस्थान	87.16		10.4	153.49		2.25		
सिक्किम								
तमिलनाडु				20.30		59.26	0.02	
तेलंगाना		27.37	16.1		2.02		1.20	
त्रिपुरा				7.36				
उत्तर प्रदेश	0.85		5.9	13.73	0.04		3.83	
उत्तराखंड			10.6					
पश्चिम बंगाल					0.02			
कुल	**207.33**	**27.37**	**1460.20**	**389.30**	**75.04**	**134.67**	**14.48**	**7.23**

अनुलग्नक-IV

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-IV का उत्तर दिनांक 29.07.2026 को दिया जाएगा

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए कई कदम और पहल की हैं।**,** जिसमें अपतटीय पवन, रूफटॉप सोलर, पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्राक्ट फॉर डिफरेंस (CFD) के लिए पायलट योजना जारी की गई। सीएफडी तंत्र, जो एक वैश्विक रूप से प्रमाणित ढांचा है, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए एक वैकल्पिक साधन (दीर्घकालिक विद्युत खरीद करारों के अलावा) प्रदान करेगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवादी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई डेवलपर्स को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में कुछ समय-सीमा और शर्तों के साथ छूट दी गई।

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (यानी, सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी इनवर्टर और भंडारण बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पांच सौ किलोवाट तक या विद्युत स्वीकृत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए जारी किए गए हैं।
- "पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडल की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश 12 जून 2025 को जारी किए गए।
- पवन टरबाइन मॉडल और विंड टर्बाइन के निर्माताओं (आरएलएमएम) की संशोधित सूची में पवन टरबाइन मॉडल को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 को जारी की गई। संशोधन आरएलएमएम का नाम बदलकर मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची [एएलएमएम (पवन)] के रूप में बदल देता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों के अनिवार्य स्थानांतरण और भारत के बाहर वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बियरिंग) जैसे सूचीबद्ध घटकों के उपयोग को अनिवार्य करता है।
- ALMM-Wind और ALMM - पवन टरबाइन घटकों (ALMM-WTC) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 29 अक्टूबर 2025 को जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, घटक मूल्यांकन और मॉडल नामांकन के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और ग्रिड से जुड़े सौर इनवर्टर के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।

- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

- देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए अक्तूबर, 2015 में अपतटीय पवन ऊर्जा नीति की अधिसूचना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, वर्ष 2023 को अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- विकास के प्रारंभिक चरण के लिए, तमिलनाडु और गुजरात के तट से प्रत्येक में 8 संभावित अपतटीय पवन क्षेत्रों की पहचान मेसो-स्केल अध्ययन के माध्यम से की गई है।
- नवंबर, 2017 में गुजरात तट पर एक लिडार स्थापित किया और 2 साल के पवन डेटा एकत्र किए। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने गुजरात तट पर 01 गीगावॉट क्षमता के लिए भूभौतिकीय, भू-तकनीकी अध्ययन, रैपिड ईआईए अध्ययन, समुद्र विज्ञान (लहर, ज्वार और वर्तमान अध्ययन) भी किया है।
- तमिलनाडु तट के पास तीन बोर होल स्थानों पर भू-तकनीकी अध्ययन किया गया। इसके अलावा, पवन संसाधन माप के लिए तमिलनाडु तट पर 4 एलआईडीएआर स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु तट पर 500 मेगावाट क्षमता वाले स्थल के लिए अपतटीय मेट-ओशन फील्ड अध्ययन और भूभौतिकीय और भू-तकनीकी जांच भी पूरी हो चुकी है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) ने प्रारंभिक 10 गीगावॉट अपतटीय पारेषण क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु तट पर प्रत्येक 05 गीगावॉट) की योजना पूरी कर ली है।
- सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की 1 गीगावॉट की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 7453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी है और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संभार तंत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए अनुदान दिया है।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 तंत्र के अनुसार द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए विचार की जाने वाली गतिविधियों की सूची में अपतटीय पवन को शामिल किया गया है।
- दिनांक 31.12.2032 को या उससे पहले शुरू की गई अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार की छूट के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) प्रभारों की छूट।

- देश में बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई, जिसमें वर्ष 2026-27 तक देश में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापनाओ का लक्ष्य है, जिसमें कुल 75021 करोड़ रुपये का सीएफए परिव्यय है।
- पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए रूपरेखा जारी की गई है। **वर्ष** 2035-36 तक 100 गीगावॉट हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है।
- भारत में गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज', जिसका उद्देश्य ₹18,100 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। 50 गीगावॉट क्षमता में से 10 गीगावॉट घंटा ग्रिड स्केल स्थिर भंडारण अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की 43 गीगावॉट से अधिक क्षमता के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान कर रहा है।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा सितंबर 2023 में जारी किया गया था, जो भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती, बाजार एकीकरण और नियामक सुविधा के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।
- परियोजना व्यवहार्यता में सुधार के लिए जून 2028 तक शुरू की गई सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क की छूट प्रदान की गई है।
- बीईएसएस से आपूर्ति की जाने वाली बिजली को हाई-प्राइस डे-अहेड मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिससे भंडारण को चरम मूल्य संकेतों का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके।
- सीईए ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के सह-अवस्थिति पर एक परामर्श जारी किया, जिसमें सौर ऊर्जा की प्रेषण क्षमता में सुधार के लिए न्यूनतम दो घंटे की अवधि के लिए स्थापित सौर क्षमता के कम से कम 10% की भंडारण क्षमता की सिफारिश की गई है।
